अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी 63/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकः लखनऊः नवम्बर 26,2013

विषय- **कैश लूट एवं डकैती की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदय,

विगत तीन माह के अपराधिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रदेश में सनसनीखेज कैश लूट एवं डकैती की घटनायें घटित हो रही है। मुख्य रूप से जनपद गाजियाबाद-4, गौतमबुद्धनगर-4, अलीगढ़-3, लखनऊ-3, गोरखपुर, अमरोहा, वाराणसी में क्रमशः 2-2 गम्भीर घटनाओं के साथ-साथ अन्य सभी जनपदों में भी लूट की घटनायें घटित हुई है। आप सहमत होगें कि लूट की घटना घटित होने पर आम जनता में भय एव असुरक्षा के साथ-साथ पुलिस के प्रति अविश्वास व निष्क्रियता की भावना उत्पन्न होती है, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. यद्यपि लूट एवं डकैती की कुछ घटनाओं का अनावरण हुआ है लेकिन अधिकांश घटनाओं का अनावरण नहीं हुआ है। घटनाओं के अनावरण न होने से जनमानस में पुलिस के प्रति आक्रोश की भावना बढ़ती है।

1.डीजी परिपत्र-36/04 दिनांक 22.12.04
2.डीजी परिपत्र-20/06 दिनांक 08.06.06
3.डीजी परिपत्र-09/07 दिनांक 25.03.07
4.डीजी परिपत्र-03/10 दिनांक 21.01.10

3. मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये है, जिनका अनुश्रवण एवं अनुपालन भी अपेक्षित है।

4. अतः कैश लूट एवं डकैती की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैः-

- कैश लूट एवं डकैती की घटनाओं के मार्ग, स्थान व समय का विश्लेषण करके गश्त एवं पिकेट लगाये जाय।
- बैकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जहाँ पर काफी मात्रा में कैश का लेन-देन किया जाता है। लूट एवं डकैती के दिन व समय का विश्लेषण करके आवश्यकतानुसार गश्त एवं पिकेट लगाये जाय।
- भिन्न-भिन्न समय पर स्थान परिवर्तित करते हुये संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग करायी जाय। चेकिंग के दौरान वाहनों के कागजात देखने के बजाय अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की भौतिक रूप से तलाशी करायी जाय।
- बैंकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों एवं स्वामियों से सम्पर्क स्थापित करके परिसर के आस-पास सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की कार्यवाही की जाय, ताकि लूट की घटना घटित होने पर अपराधियों की पहचान करके घटना का अनावरण किया जा सके।
- विगत पाँच वर्ष के कैश लूट एवं डकैती की घटना में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गतिविधियों की जानकारी करके उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार हिस्ट्रीशीट खोलने की एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाय। जो अभियुक्तगण घर पर मौजूद नहीं है, इस बात की

प्रबल सम्भावना होती है कि वे लूट के अपराध में संलिप्त होगें। अतः उनका पता लगाकर उनके विरूद्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

- कैश लूट एवं डकैती के अभियोगों के शत्-प्रतिशत अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किये जायें।
- लूट एवं डकैती की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी के प्रयास किये जाय। गिरफ्तारी से बचने वाले अभियुक्तगण के विरूद्ध पुरस्कार घोषित करा करके प्रत्येक दशा में उनकी गिरफ्तारी करायी जाय।
- लूट एवं डकैती की घटना में संलिप्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एवं एन0एस0ए0 की कार्यवाही करा करके अधिक से अधिक समय तक उन्हें जेल में निरूद्ध रहने के प्रयास किये जाय।
- लूट एवं डकैती की घटनाओं का अन्वेषण कार्य अत्यधिक सर्तकता एवं दक्षता से करने की आवश्यकता होती है। प्रायः लूट एवं डकैती की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण के मात्र उनके संस्वीकृति के आधार पर ही जेल भेज दिया जाता है और अन्य कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया जाता है, जिससे विचारण के दौरान अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त हो जाते है। अतः विवेचना के दौरान अभियुक्तगण एवं लूटी गयी सम्पत्ति की कार्यवाही शिनाख्त करायी जाय। साक्ष्य संकलन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए फुट एवं फिंगर प्रिन्ट, घटना के समय अभियुक्तों का टावर लोकेशन, सी0सी0टी0वी0 फूटेज, घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा छोड़े गये सामान यथा जूता, अंगौछा आदि को कब्जे में लेकर उनका विवेचना में समावेश/प्रयोग किया जाय।
- न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तगण को सजा दिलाने की कार्यवाही की जाय।
- कैश लूट एवं डकैती करने वाले अपराधियों की जानकारी करने के लिए अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाय। इसके लिए मुखबिरों, चौकीदारों, होमगार्डों, ग्राम प्रधानों व सम्भ्रान्त नागरिकों की भी सहायता ली जाय।
- यदि एक बीट के अपराधी द्वारा अपने निवास स्थान अथवा अन्य क्षेत्र में अपराध किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अपराधिक गतिविधियों की अभिसूचना संकलन न करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बीट आरक्षी को जबावदेह बनाया जाय।

अपेक्षा की जाती है कि तत्काल आप उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सार्थक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें।

(भवदीय)

16-11-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक-प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।